Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana
39-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 4, 2022 (PHALGUNA 13, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th March, 2022

No. 05-HLA of 2022/14/4333.— The Haryana Fire and Emergency Services Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 05- HLA of 2022

THE HARYANA FIRE AND EMERGENCY SERVICES BILL, 2022

A

BILL

to consolidate the law relating to Fire and Emergency Services and to make provisions for prevention of fire and providing of fire safety measures in the buildings in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "appellate authority" means the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Government, Haryana in the administrative department;

(b) "building" shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or any law for the time being in force in the area in which this Act is in force and includes places or premises comprising land or building, or part of a land or building, whether authorized or otherwise, outhouses, if any, pertaining to such building or part thereof and petrol, diesel or gas line installations or pumps;

(c) "bye-laws" means fire safety regulations as prescribed in Haryana Building Code, 2017, provisions of Part-IV of National Building Code of India 1983 as revised from time to time containing fire prevention and life safety measures to be implemented in the buildings as laid down by the Bureau of Indian Standards, Oil Industry Safety Directorate Guidelines, 1986, the Petroleum Act, 1934 (Central Act 30 of 1934) and

rules made thereunder and the Explosives Act, 1884 (Central Act 4 of 1884) and rules made thereunder;

(d) "Bureau of Indian Standard (BIS)" means National Standard Body of India established under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (Central Act 11 of 2016);

(e) "Fire Officer" includes Assistant Divisional Fire Officer and Fire Station Officer appointed for fire stations and other field formations, as the case may be;

(f) "Director" means the Director, as the case may be, appointed by the Government under section 4;

(g) "disaster" means disaster as defined in the Disaster Management Act, 2005 (Central Act 53 of 2005);

(h) "erector" means a person or association of persons, whether corporate or otherwise, who erects or makes a pandal or any structure for assembly of people on a regular or temporary basis;

(i) "Fire and Emergency Services" means any serious situation or occurrence that happens unexpectedly and demands immediate action of Fire and Emergency Services of the Government or local authority;

(j) "fire station" means a building erected to house the fire fighting equipment, appliances and staff and declared by the Government to be a fire station and other field formations as constituted under section 6 of this Act;

(k) "fire prevention and life safety measures" means such measures as are necessary in accordance with the provisions of Part- IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time for containment, control and extinguishment of fire and for ensuring the safety of life and property;

(l) "Fire Safety Officer" means a person appointed under section 22 by the owner or occupier of certain buildings as specified in this behalf to ensure fire prevention and fire safety measures installed in such buildings;

(m) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(n) "local authority" means the Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Committee, Gram Panchayat, Cantonment Board or any other authority established, constituted or incorporated for providing and maintaining fire services;

(o) "occupancy" means the principal occupancy for which a building or a part of the building is used or intended to be used including subsidiary occupancies which are contingent upon it;

(p) "occupier" means-

- (i) any person who, for the time being, is paying or is liable to pay, to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;
- (ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;
- (iii) a rent-free occupant of any land or building;
- (iv) a licensee in occupation of any land or building; and
- (v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

(q) "owner" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any land or building, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person who shall receive the rent or is entitled to receive the rent if the land or building or part thereof is let out to tenant;

(r) "pandal" means a temporary structure with a roof or walls made of straw, hay, ulu grass, golpatta, hogla, darma, mat, canvas, cloth or other like material which is not adopted for permanent or continuous occupancy;

(s) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(t) "State" means the State of Haryana.

Fire and Emergency Services.

3. There shall be Fire and Emergency Services for the State of Haryana consisting of officers and officials of the Fire and Emergency Services who shall be posted anywhere within the State:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any other service or disaster to be Fire and Emergency Service.

Appointment of Director.

4. The Government may appoint an officer from the Indian Administrative Service or an officer not below the rank of Joint Director (Technical) of the Fire and Emergency Services to be the Director.

Powers, duties and functions of Director.

5. (1) The Director shall subject to the superintendence and control of the Government, direct and regulate all matters of fire safety and prevention, fire fighting equipments, machinery and appliances, training, distribution of duties, study of laws and maintenance of discipline of personnel in the Fire and Emergency Services.

(2) The Director shall,-

(i) keep liaison with the Government for the development of Fire and Emergency Services;

(ii) frame and take steps for implementation of the policies relating to the development of Fire and Emergency Services after obtaining approval of Government;

(iii) prepare and submit plans and proposals to the Government with regard to the periodical review of fire equipments, properties and manpower for effective implementation of Fire and Emergency Services;

(iv) ensure that Fire and Emergency Management Plans of the Fire Stations and other field formations are prepared in conformity with the respective State Disaster Management Plans;

(v) ensure deployment of Fire and Emergency Services, resources, equipments and fire personnel at standby duty for any fire response or any other emergency within the State as well as for adjoining States;

(vi) take or cause to be taken such effective steps and measures in case of major fire, house collapse and other emergency services;

(vii) investigate or cause to be investigated the reason of fire and submit the report to the Government with the recommendations including implementation of fire precautionary measures;

(viii) depute such number of members/personnel as may be necessary to assist any Fire Officer of the Fire and Emergency Services;

(ix) implement the policies framed by the Government from time to time;

(x) establish advance training centres for providing training in the field of fire and rescue operations;

(xi) represent the State of Haryana in National and International forums to update the standard of Fire and Emergency Services;

(xii) perform any other function or duty as may be necessary for carrying out the provisions of this Act.

Setting up of fire divisions, fire stations and other field formations.

6. (1) The Government for the purpose of securing fire prevention and life safety measures within the State shall, by notification in the Official Gazette, constitute as many fire divisions, fire stations and other field formations, as it may deem fit to meet with the need of Fire and Emergency Services, having regard to the population, potential fire hazards in industrial sector, commercial and mercantile establishments and buildings.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the fire divisions, fire stations and other field formations for administrative and operational efficiency.

Appointment, powers, duties and functions of Fire Officer.

7. (1) The Government or the Director shall appoint a Fire Officer for each fire station, who shall be the officer-in-charge of the fire station and shall be responsible for the maintenance of communication system, water resources including hydrants, operation of Fire and Emergency Services within his area.

(2) Subject to the control, direction and superintendence of the Director, the Fire Officer shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (2), the concerned Fire Officer shall,-

(i) in case of Fire and Emergency Services, act as Commanding Officer and in such a situation, the other Fire and Emergency Services not under his control shall work under his command;

(ii) ensure that Fire and Emergency Management Plan of the Fire Station and other field formations is prepared in conformity with the respective District Disaster Management Plan;

(iii) ensure the timely turnout of fire units on fire and emergency related calls as per such standard operating procedures, as may be prescribed;

(iv) ensure deployment of Fire and Emergency Services, resources, equipments and fire personnel at standby duty for any fire response or any other emergency within his jurisdiction.

Method of recruitment of members of Fire and Emergency Services.

8. The method of recruitment, the pay and allowances and all other conditions of service of the members of the Fire and Emergency Services appointed or engaged, shall be such, as may be prescribed.

Auxiliary Fire and Emergency Service.

9. Whenever it appears to the Government that it is necessary to augment the Fire and Emergency Services, it may raise an auxiliary Fire and Emergency Service by enrolment of volunteers for such area and on such terms and conditions, as it may deem fit.

Powers of officer-in-charge.

10. On the occurrence of fire in any area, the officer/official of the fire fighting operations on the spot shall be the officer-in-charge who may,-

(i) order any other member of the Fire and Emergency Services to remove any person who by his presence interferes with or impedes the operation for extinguishing of fire or for saving life or property;

(ii) close any street or passage in or near which a fire is being fought and rescue operation is in progress;

(iii) break into or through or pull down any premises for the passage of hose or appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible for the purpose of extinguishing fire and carrying out rescue operations;

(iv) require the authority in-charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilize the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire and carrying out rescue operations;

(v) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the fire fighting operations as if he is/was an officer-in-charge of a police station and shall be entitled to the same immunities and protection as an officer-in-charge of a police station;

(vi) detain a person who wilfully obstructs and hinders Fire and Emergency Services personnel in fire fighting and rescue operations and hand over him to a police officer or at the nearest police station without delay specifying the time, date and reasons of detention in writing.

Requisition of fire fighting property.

11. Where the Director or Fire Officer or officer-in-charge of a fire fighting or any emergency operation requires fire fighting equipment and appliance or property of any other authority or any institution or individual, he may, by order, requisite such equipment or property for the purpose of extinguishing fire or to meet with any other emergencies in any area and take possession thereof from the authority or any institution or individual, as the case may be.

Power to arrange water supply and other necessary measures.

12. (1) It shall be lawful for the officer-in-charge of the fire fighting operations to draw water from any source in the area which he considers necessary during fire fighting operations, as may be required and on such occasions, the owner or occupier having control over such water source shall supply water for that purpose.

(2) The officer-in-charge of the fire fighting operations shall ensure adequate supply of water for use in the incident of fire and shall take all necessary measures for fire fighting operation.

13. No person in-charge of water supply in any area shall have right to claim for any compensation for damages by reason of any interruption of supply of water caused in compliance with sub-section (1) of section 12. No compensation for interruption of water supply.

14. No charges shall be claimed by any local authority for water consumed in fire fighting operations or fire drills or for installation and maintenance of hydrants static water tanks or any other arrangement of water supply for fire fighting purposes. Charges for water consumption.

15. The Government shall, by notification, require any owner or occupier of any place or premises in any area which in its opinion is likely to cause risk of fire, to take such preventive measures, as may be specified in such notification. Preventive measures.

16. (1) The erector of pandal shall be deemed to be self-regulator for taking fire prevention and life safety measures as per provisions of this Act. Fire prevention and life safety measures in pandal.

(2) The erector of pandal shall display at a prominent place in the pandal, a declaration in the prescribed form under his own signature to the effect that he has taken all prescribed fire prevention and life safety measures.

(3) The Director or any officer authorized by him in this behalf shall have the power to enter and inspect the pandal to verify the correctness of the declaration so made by the erector under sub-section (2) and to point out the shortcomings, if any, with the directions to remove them within a specified time. If such directions are not complied with within the time given, the Director or the officer authorised by him shall seal the pandal.

(4) Any erector of a pandal who falsely declares that he has complied with the prescribed fire prevention and life safety measures in the pandal shall be deemed to have committed an offence and shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which such offence continues.

17. (1) Whenever it comes to the notice of the Director or any other officer authorized by him, he may direct the removal of encroachment, objects or goods likely to cause risk of fire or any obstruction to fire fighting to a place of safety and on failure of the owner, occupier or erector, as the case may be, to do so, the Director or any other officer authorized by him in this behalf may, after giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation and in case the Director or an officer authorised by him in this behalf is not satisfied with such representation, shall with detailed reasons report the matter to the concerned District Magistrate. Removal of encroachment, objects or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to fire fighting.

(2) On receipt of a report under sub-section (1), the District Magistrate shall, by means of a notice served in such manner, as he may think fit, give a reasonable opportunity to owner, occupier or erector, as the case may be of showing cause against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk of fire or obstruction to fire fighting.

(3) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation under sub-section (2), the District Magistrate after considering the representation, may withdraw the notice or make an order to seize, detain or remove such encroachment, objects or goods.

(4) The person charged with the execution of the order as made in sub-section (3) shall forthwith make an inventory of the objects and goods which he seizes under such order, and shall, at the same time, give a written notice, in the manner as may be prescribed, to the person in possession thereof at the time of seizure that the said objects or goods shall be sold as if the same are not claimed within the period stipulated in the said notice.

(5) On the failure of the person in whose possession the objects or goods were at the time of seizure, to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-section (4), the District Magistrate shall sell them in public auction.

Liability of owner or occupiers for approval of fire fighting scheme.

18. (1) In compliance of the provisions of Part IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time, Haryana Building Code, 2017 and any other State law or bye-laws, as applicable on relevant premises, the owner or the occupier of a building, who is responsible either individually or jointly shall-

(i) provide fire fighting installations and life safety measures;

(ii) maintain the fire prevention and life safety measures in operational condition at all times.

(2) Any person proposing to construct a building as mentioned in clauses (a) and (b) hereunder, after approval of building plans from the officer competent to approve the same under the relevant law, shall apply for approval of the fire fighting scheme confirming to the provisions of this Act and Part- IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time, to the Director or any officer authorized by him in this behalf, in such form, alongwith such fee, as may be prescribed, namely:-

(a) all high rise buildings (except residential buildings upto height of 16.5 mtrs); and

(b) special buildings including-

(i) hotel, educational, institutional, business, mercantile, industrial, storage, hazardous and mixed occupancies, where any of these buildings have floor area more than five hundred square meter (500 square meters) on any one or more floors;

(ii) educational buildings having height of nine meters (9 meters) and above;

(iii) institutional buildings having height of nine meters (9 meters) and above;

(iv) all assembly buildings;

(v) buildings, having area more than three hundred square meters (300 square meters) of incidental assembly occupancy on any floor; and

(vi) buildings with two basements or more, or with one basement of area more than five hundred square meters (500 square meters) unless otherwise mentioned specifically in the provisions.

(3) Any officer duly authorized by the Director in this behalf may take cognizance of any application and shall scrutinize the application with regard to the requirement of Haryana Building Code, 2017 and Part-IV of National Building Code, 1983 as revised from time to time. The Director or any officer authorised by him in this behalf, after scrutiny may grant the approval of fire fighting scheme which shall be valid for a period of five years for the buildings mentioned in clause (a) of sub-section (2) and for a period of two years for the buildings mentioned in clause (b) of sub-section (2) or reject the said application after recording reasons within such time, as may be prescribed:

Provided that the Director or any other officer authorized by him in this behalf while approving the Fire Fighting Scheme may impose any additional conditions/fire safety measures, which he deems fit, for the safety of people and safety of the building depending upon the ground situation.

(4) In case of approach road/ abutting road on which building is to be constructed and set backs or open space around such building to be constructed, the parameters laid down under the Haryana Building Code 2017, shall be applicable.

(5) The maximum height of the storage building shall be permissible up to twenty one meters (21 meters) subject to the condition that no regular/continuous human habitation shall be accessible for general public beyond fifteen meters (15 meters) in height. In case of classes of occupancy or building for which fire prevention and fire safety measures are not mentioned in the provisions of Part- IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time and separate guidelines are not issued by the Bureau of Indian Standards or Oil India Safety Directorate, the Director or any officer authorized by him in this behalf may require the owner or occupier of such occupancy or building or premises to provide fire prevention and fire safety measures in accordance with the parameters laid down by the National Fire Protection Association Institution (U.S.A.).

(6) The maximum travel distance of the storage building shall be permissible up to sixty seven and half meters (67.5 meters).

(7) The maximum height of the industrial building shall be permissible up to thirty meters (30 meters) for low and moderate hazard buildings (except high hazard buildings) subject to the condition that no regular/continuous human habitation is permitted beyond eighteen meters (18 meters) in height for low and moderate hazard buildings. In case of classes of occupancies or buildings or premises for which fire prevention and life safety measures are not mentioned in the provisions of Part-IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time and time and separate guidelines are not issued by the Bureau of Indian Standards or Oil India Safety Directorate, in such cases, the Director or any officer authorized by him in this behalf, may require the owner or occupier of such occupancy or building or premises to provide fire prevention and life safety measures in accordance with the parameters laid down by the National Fire Protection Association Institution (U.S.A.).

Issuance of Fire Safety Certificate.

19. (1) On completion of the construction of the building mentioned under sub-section (2) of section 18 and installation of the fire protection and preventive measures as per approved Fire Fighting Scheme, the owner of the building shall apply for fire safety certificate to the Director or any officer authorized by him in this behalf, in such form alongwith such fee, as may be prescribed.

(2) On receipt of application under sub-section (1), the concerned officer shall scrutinize the application and inspect the building for compliance of fire fighting scheme.

(3) After inspection of fire safety installation and means of escape as per approved fire fighting scheme, the concerned officer shall submit his report to the Director or any other officer authorised by him within such time, as may be prescribed. After examination, the Director or any officer authorised by him may grant approval and issue fire safety certificate or reject the said application after recording the reasons, within such time as may be prescribed.

(4) The fire safety certificate issued for the buildings specified in clause (a) of sub-section (2) of section 18 shall be valid for three years, for residential buildings above sixteen and half meters (16.5 meters) shall be valid for five years and for special buildings as specified in clause (b) of sub-section (2) of section 18 shall be valid for three years.

(5) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, no authority empowered to issue the occupation Certificate of such building shall issue the occupation certificate unless the provisions of this section are complied with:

Provided that the authority competent to approve the fire safety certificate may impose any additional conditions with regard to fire safety and life safety measures as he may deem fit, for the safety of people and building depending upon the ground situation.

(6) The owner or occupier of the building shall give a self-declaration certificate annually to the effect that the fire fighting system installed in his building is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. The Fire Officer may randomly check such building. In case there is any addition/alteration beyond permissible limits under the Haryana Building Code, 2017, the fire safety certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per the provisions of section 18.

Renewal of fire safety certificate.

20. (1) The owner or occupier of building shall apply for renewal of fire safety certificate within such period in such form, alongwith such fee, as may be prescribed.

(2) The Fire Officer shall scrutinize the application and carry out the inspection of fire safety installations, means of escape etc. and if the building fulfils the prescribed norms, the Fire Officer or any officer authorized by the Director in this behalf, shall issue the renewal of fire safety certificate or reject the same after recording reasons in this regard within such time as may be prescribed:

Provided that the Fire Officer or any officer authorised by the Director competent to approve the renewal of fire safety certificate may impose any additional conditions with regard to fire safety and life safety measures which he may deem fit, for the safety of people and building depending upon the ground situation.

(3) The validity of renewal of fire safety certificate shall be three years for buildings as mentioned under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 18.

(4) The owner or occupier of the building shall give a self-declaration certificate annually to the effect that the fire fighting system installed in his building is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. The Fire Officer may randomly check such building. In case there is any addition/alteration beyond permissible limits under the Haryana Building Code, 2017, the renewal of said fire safety certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per the provisions of section 18.

Cancellation of fire safety certificate.

21. (1) If the owner or occupier, as the case may be, fails to comply with the directions issued by the Director or any officer authorised by him in this behalf, the fire safety certificate or renewal of fire safety certificate issued under sections 19 and 20, may be cancelled by the issuing authority after giving an opportunity of hearing to the owner or occupier.

(2) The owner or occupier of the building, whose fire safety certificate has been cancelled, shall not be entitled to occupy the building or premises on the ground of non-compliance of fire prevention and life safety measures.

Appointment and functions of Fire Safety Officer by owner or occupier.

22. (1) To ensure effective fire prevention and life safety measures in all buildings as per provisions of Part-IV of the National Building Code of India, 1983 as revised from time to time, every owner or occupier, individually or jointly, as the case may be, shall appoint a Fire Safety Officer, having such qualifications, as may be prescribed.

(2) In case of a vacancy of the Fire Safety Officer appointed under sub-section (1), either on resignation or otherwise, the owner or occupier individually or jointly, as the case may be, shall appoint the Fire Safety Officer immediately.

(3) In case of the non-appointment of the Fire Safety Officer under sub-section (1) and (2), the Fire Officer may take such steps as he deems necessary as per the provisions of this Act.

(4) The Fire Safety Officer shall have to undergo training at the Fire and Emergency Services Training Institute established by the Government:

Provided that a person who has already undergone such training at the National Fire Service College, Nagpur run by the Ministry of Home Affairs or at any other equivalent institution recognized by the Government, shall not be required to take such training.

Power of inspection.

23. (1) The Fire Officer authorized by the Director in this behalf may, after giving three hours notice to the occupier, or if there is no occupier, to the owner of any place or building or part thereof, enter and inspect such place or building or part thereof at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and life safety measures:

Provided that the Fire Officer authorized by the Director in this behalf, may enter into and inspect any place or building or part thereof at any time if it appears to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety of life and property.

(2) The Fire Officer shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, of such place or building or part thereof, for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) The owner or occupier or any other person shall not obstruct or cause any obstruction to the entry into or upon any place or building or part thereof of a Fire Officer and shall not manhandle with the Fire Officer during such inspection.

(4) On entry to any such place or building or part thereof used as a human dwelling, due regard shall be paid by the Fire Officer to the social and religious sentiments of the occupiers:

Provided that if any place, building or part thereof in the actual occupancy of any woman, who, according to the custom does not appear in public, then a notice is required to be given to such woman with liberty to withdraw herself from such place and every reasonable facility is required to be afforded to her for such purpose.

(5) After carrying out the inspection under this section, the Fire Officer shall give a report of such inspection to the Director or any other officer authorized by him in this behalf.

(6) The Director or any other officer authorized by him in this behalf shall, after receipt of the report, record his views on the deviations from or the contraventions of the requirements with regard to the fire prevention and life safety measures or the inadequacy or non-compliance of such measures provided or to be provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities carried on in such place or building or part thereof and shall issue a notice to the owner or occupier of such place, building or part thereof directing him to undertake such measures within such time as may be specified in the notice.

(7) The Director or any other officer authorized by him in this behalf in the event of non-compliance of notice issued shall take such steps as he deems fit under the provisions of this Act.

Provisions regarding certain buildings.

24. (1) The Fire Officer or any other officer authorized by the Director in this behalf may enter and inspect any building, the construction of which was completed on or before the commencement of this Act or any building which was under construction on such date in which such inspection appears to be necessary for ascertaining the adequacy of fire prevention and life safety measures.

(2) The Fire Officer or any other officer authorised by the Director shall after inspection of the building under sub-section (1) and after taking into consideration-

(i) the provision under which the plan of said building was sanctioned;

(ii) the conditions imposed, if any, by the local authority at the time of sanction of the plan of said building; and

(iii) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures specified for such building as per provisions of Part-IV of the National Building Code, 1983 as revised from time to time,

shall submit a report of inspection made by him to the Director or any other officer authorized by him in this behalf.

Penalties for violation of section 12.

25. Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) of section 12, without prejudice to any other action taken against him under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

Penalty in case of non-appointment of Fire Safety Officer.

26. (1) If any owner or occupier of a building fails to appoint Fire Safety Officer under section 22 within thirty days of the receipt of a notice given in this behalf by the Director or the Fire Officer, as the case may be, shall be deemed to be in default jointly and severally and shall be liable to pay such sum not less than ten rupees per square meter and not exceeding fifty rupees per square meter of the area owned or occupied including the common areas in the building as determined by the Director or any officer authorized by him for each month of default or part thereof.

(2) The amount due as penalty under sub-section (1) shall be recovered as an arrear of land revenue.

Liability of owner to pay compensation.

27. (1) Any person whose building catches fire on account of an action of his own or of his agent, deliberately or negligently, shall be liable to pay compensation to any other person suffering any damage from such fire.

(2) All claims under sub-section (1) shall be referred to the Director within thirty days from the date when the damage was caused.

(3) The Director shall, after giving an opportunity of being heard to the concerned persons, may determine the amount of compensation and pass an order in this regard while fixing the liability of the persons for paying such compensation. The order passed under this sub-section shall have the force of decree of a civil court and shall be implemented within thirty days from the date of receipt of the order.

Penalty for wilfully obstructing fire fighting, rescue operations.

28. Any person who wilfully obstructs or interferes with any member of the Fire and Emergency Services, who is engaged in fire fighting operations, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

False report.

29. Any person who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

General provision for punishment.

30. Whoever contravenes any provisions of this Act or any rule or notification made thereunder except as provided specifically in this Act, shall without prejudice to any other action taken against him under this Act and the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to one thousand rupees for everyday during which such offence continues.

Offence by companies.

31. (1) Where an offence under this Act has been committed by a Company, every person who, at the time the offence was committed, was in-charge of, and was responsible for the conduct of the affairs of the Company shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also liable for punishment as per sub-section (1).

Explanation.- (i) 'company' means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(ii) 'director' means a director or a partner of the firm.

Compounding of offences.

32. (1) Any offence committed under this Act may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officer and for such amount, as the Government may, by notification, specify in this behalf:

Provided that no offence shall be compounded unless the notices or orders issued under this Act are complied with.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence.

Protection of action taken in good faith.

33. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

Cognizance of prosecution.

34. No court shall take cognizance of an offence under this Act, except on the complaint of or upon information received from the Director or concerned Fire Officer of the Fire and Emergency Services.

Jurisdiction.

35. The Court of Sub-Divisional Magistrate shall try an offence punishable under this Act.

Appeal.

36. (1) Any person aggrieved by any notice or order of the Director or any other officer authorised by him in this behalf may prefer an appeal against such notice or order to the appellate authority within a period of sixty days:

Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the such period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An order passed by the appellate authority in the appeal shall be final.

Establishment of fire and emergency training institute.

37. (1) The Government may establish and maintain one or more training institutes in the State of Haryana for providing courses of instructions in the prevention and extinguishment of fire for the fire service personnel and private candidates from industries, high rize buildings and other Government and Non-Government establishments.

(2) The Government may extend the training facilities to the local bodies and industrial undertakings as well as to the fire and emergency service of other States on payment of such fee and charges, as may be prescribed.

(3) The Government shall prescribe such procedure as it may deem fit for providing a course of instruction in the prevention and extinguishment of fire.

(4) Subject to the observance of general rules applicable to other employees of the Government in relation to training, the employees of the Fire and Emergency Services may be sent to training in the field of scientific and modern techniques of fire protection and fire safety measures and allied matters in any institute within or out of India at the cost and expense of the Government for the administration of the provisions of this Act.

38. The Fire Officer shall conduct community awareness and training programmes on preventive measures on fire and other emergencies. The Fire Officer may render assistance and consultation to the communities in matters related to fire prevention.

Community awareness and training programme.

39. (1) A fire tax shall be levied on buildings on which property tax is levied by any local authority.

Levy of fire tax.

(2) The fire tax shall be levied at such rate in terms of percentage of property tax as the Government may, by notification in the Official Gazette, determine from time to time.

40. (1) The authorities empowered to assess, collect and enforce payment of property tax under the law authorizing the local authority of the area to levy such tax shall, on behalf of the Government, assess, collect and enforce payment of the fire tax in the same manner, as the property tax is assessed, paid and collected.

Mode of assessment, collection, etc. of fire tax.

(2) Such portion of the total amount of the fire tax as the Government may determine, shall be deducted by the local authority to meet the cost of collection of the fire tax.

(3) The net amount of the fire tax collected under this Act reduced by the cost of collection of fire tax shall be paid to the Government, in such manner and at such intervals, as may be prescribed.

41. (1) Where members of the Fire and Emergency Services are deployed alongwith equipment and appliances beyond the limits of State in order to extinguish a fire in the neighbourhood on the request of any Government or local body or Fire and Emergency Services, such Government or local body or Fire and Emergency Services, as the case may be, shall be liable to pay such charges as may be prescribed.

Charges on deployment of Fire and Emergency Services beyond limits of State.

(2) No members of Fire and Emergency Services shall be deployed for the purpose as mentioned under sub-section (1) without prior permission of the Director or any other officer authorized by him in this behalf who shall not be below the rank of Deputy Director (Technical).

(3) The fee referred to in sub-section (1) shall be payable within one month of the service of a notice of demand by the Director or any other officer authorized by the Director in this behalf, as the case may be, and if it is not paid within that period, it shall be recoverable as an arrear of land revenue.

42. (1) No charges shall be levied for extinguishing the fire and rescue operations within the State.

Charges on deployment of Fire and Emergency Services for Standby duty within State.

(2) The Government shall, by notification specify the charges for deployment of members of Fire and Emergency Services alongwith equipment and appliances for the private purpose and for standby duty for a specific duration.

43. Any amount payable under this Act shall be recovered as arrears of land revenue.

Recovery of dues.

44. The Director may, with the previous sanction of the Government, enter into an agreement with any Fire and Emergency Services or the authority which maintains the said Fire and Emergency Services, beyond the limits of any area in which this Act is in force for providing personnel or equipment or both, for fire fighting purposes, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest.

Reciprocal fire fighting arrangements with other Fire and Emergency Services.

45. Without prejudice to the provisions of any other state law on the subject for the time being in force, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any class or category of Fire and Emergency Services as technical service.

Declaration of Fire and Emergency Services as technical service.

46. The Director or any other officer authorized by him in this behalf may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building to supply information with respect to the character of such building, the available water supplies and means of access thereto and any other material particulars as he may deem necessary and such owner or occupier shall be liable to furnish all information under his possession.

General power to obtain information.

Power to seal buildings or premises.

47. (1) Where on receipt of a report from Fire Officer under sections 23 and 24, or suo-moto, it appears to the Director or any officer authorized by him that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under this Act, by order, require the person in possession or occupation of such building to remove them from such building forthwith.

(2) If an order made by the Director or any officer authorized by him under sub-section (1) is not complied with, the Director or any officer authorized by him may direct-

(i) to disconnect the supply of electricity of the building to concerned authority and such authority shall comply with said directions;

(ii) to disconnect the water and sewer of the building or premises to the concerned authority and such authority shall comply with such directions;

(iii) any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building and such officer shall comply with such directions.

(3) After the removal of the persons under clause (iii) of section (2), the Director or any other officer authorized by him in this behalf shall seal the building.

(4) No person shall remove such seal except under an order made by the Director or any officer authorized by him.

(5) Any person who removes such seal except under an order made by the Director or any officer authorized by him, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

Police officers and others to aid.

48. In fire fighting operations or any other duties related to seizure, detention or removal of any goods involving risk of fire on the request of the officer-in-charge of the fire fighting operation, it shall be the duty of a police officer or employees of the police force to assist and aid the officer-in-charge of the fire fighting operation in performance of such duties.

Compensation to member of Fire and Emergency Services.

49. If the member of the Fire and Emergency Services become permanently disabled or dies during discharging the fire fighting and rescue operation duties, the Government shall pay adequate compensation to such member or to the next of kin of deceased, as the case may be as specified by the Government, by notification in the Official Gazette.

Officers to be public servants.

50. Every member of Fire and Emergency Services shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Restriction to form association or part of association etc.

51. (1) No member of the Fire and Emergency Services shall without the previous sanction of the Government:

(i) be a member of, or be associated in any way with, any union, labour union and political association;

(ii) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except where such communication or publication is in the bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character.

Power to make rules.

52. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act..

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

Delegation of powers.

53. The Director may, by order direct, that any power conferred or any duty imposed upon him, by or under this Act, shall in such circumstances and under such conditions, as may be specified in the order, be exercised and performed by such officer as specified in the order.

Power to remove difficulties.

54. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of State Legislature.

Act to have overriding effect.

55. Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force, the provisions of this Act shall have overriding effect.

Repeal and savings.

56. (1) The Haryana Fire Service Act, 2009 (12 of 2009) is hereby repealed.

(2) Nothing in this Act shall affect-

(i) any right, interest or liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this Act; or

(ii) any legal proceedings or remedy in respect of such right, interest or liability; or

(iii) anything done or suffered before the commencement of this Act; or

(iv) any rule framed under the repealed Act which is not inconsistent with this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Fire Service, Act 2009 was notified in the Haryana Government Gazette on dated 24th March, 2009.

Model Bill, 2019 has been prepared by the Ministry of Home Affairs, Government of India in consultation with the Ministry of Law and Justice. The revised document titled "Model Bill to Provide for the Maintenance of Fire and Emergency Service for the State has been circulated to all the States/UT Governments with the request to examine their Fire Service Bill and prepare their Fire Service based on the revised Model Bill being State Subject which has been included as a Municipal function in the XII Schedule of the Constitution of India in terms of Article 243-W.

Accordingly, to adopt the Revised Model Bill, 2019 as per guidelines issued by Minister of Home Affairs, Government of India and considering the various provisions of Haryana Building Code, 2017 & Haryana Logistic Policy etc., the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022 is to be enacted/introduced and Haryana Fire Service Act, 2009 is to be repealed.

Hence, the Haryana Fire and Emergency Services Bill, 2022 is placed for consideration and approval.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister,
Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 4th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per provision made in Section 8 of the Haryana Fire and Emergency Services Bill, 2022 the expenditure in connection with the fire services shall be met out from the consolidated fund of the State. The total estimated expenditure on salary of staff and for purchasing of fire equipments etc. was Rs. 136 Crore during the financial year 2021-22 incurred under the provision of repealed Act i.e. Haryana Fire Service Act, 2009. However, the estimated expenditure on salary of staff and for purchasing of fire vehicles/equipments etc. for the year 2022-23 will be about 270 Crore (approximately) per annum.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Under Section 3 of the proposed Haryana Fire and Emergency Services Bill, 2022 powers have been delegated to Govt. to declare any other service or disaster to be Fire and Emergency Service. Under Section 6 of the proposed Bill the powers have been delegated to the Government for the purpose of securing fire prevention and life safety measures within the State by constituting fire divisions, fire stations and other field formations. Under Section 7 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to appoint a Fire Officer for each fire station, who shall be the officer-in-charge of the fire station. Under Section 9 of the proposed Bill the powers have been delegated to the Government to raise an auxiliary Fire and Emergency Service by enrolment of volunteers. Under Section 15 the of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to require any owner or occupier of any place or premises in any area which in its opinion is likely to cause risk of fire, to take such preventive measures. Under Section 32 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to compound any offence committed under this Act by such officer and for such amount as prescribed. Under Section 37 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to establish and maintain one or more training institutes in the State of Haryana. Under Section 39 (2) of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to levy fire tax at such rate in terms of percentage of property tax. Under Section 42 (2) of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to specify the charges for deployment of members of Fire and Emergency Services along with equipments and appliances for the private purpose and for standby duty for a specific duration. Under Section 44 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to enter into an agreement with any Fire and Emergency Services or the authority which maintains the said Fire and Emergency Services, beyond the limits of any area in which this Act is in force for providing personnel or equipment or both, for fire fighting purposes, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest. Under Section 45 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to declare any class or category of Fire and Emergency Services as technical service. Under Section 49 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to pay adequate compensation of the member of the Fire and Emergency Services become permanently disabled or dies during discharging the fire fighting and rescue operation duties. Under Section 51 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to give sanction to form association or part of association etc. Under Section 52 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to make rules for carrying out the provisions of this Act. Under Section 54 of the proposed Bill the powers have been delegated to Govt. to remove any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act.

Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rule of the procedure and Conduct of the Business of the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 5–एच0एल0ए0

हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022

हरियाणा राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित विधि को समेकित करने हेतु तथा निर्माण में अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाने और इससे सम्बन्धित तथा इसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ;

(ख) ''निर्माण'' का वही अर्थ होगा, जो इसे हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) अथवा उस क्षेत्र में तत्समय लागू किसी विधि में दिया गया है, जिसमें यह अधिनियम लागू है और इसमें भूमि या निर्माण, या किसी भूमि या निर्माण के भाग से मिलकर बने स्थल या परिसर, चाहे प्राधिकृत हों अथवा अन्यथा से हों, ऐसे निर्माण या उसके भाग और पेट्रोल, डीजल या गैस लाइन, संस्थापनाओं या पम्पों से सम्बन्धित आउटहाउस, यदि कोई हों, भी शामिल हैं ;

(ग) ''उप–विधियों'' से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित, समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबन्धों, भारतीय मानक ब्यूरो, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय मार्ग–निर्देशिका, 1986, पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 30) और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का केन्द्रीय अधिनियम 4) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित निर्माणों को लागू किए जाने वाले अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों में दिए गए अग्नि सुरक्षा विनियम ;

(घ) ''भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)'' से अभिप्राय है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 11) के अधीन स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय ;

(ङ) ''अग्निशमन अधिकारी'' में शामिल हैं, दमकल केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं, जैसी भी स्थिति हो, के लिए नियुक्त सहायक मण्डल अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन केन्द्र अधिकारी ;

(च) "निदेशक" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, जैसी भी स्थिति हो ;

(छ) "आपदा" से अभिप्राय है, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 53) में यथा परिभाषित आपदा;

(ज) ''परिनिर्माणकर्ता" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था, चाहे निगमित हो या अन्यथा हो, जो नियमित या अस्थाई आधार पर लोगों की सभा के लिए किसी पंडाल का निर्माण करती है या कोई संरचना बनाती है;

(झ) "अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा" से अभिप्राय है, कोई गम्भीर स्थिति या घटना, जो अकस्मात घटित होती है और सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा की तुरन्त आवश्यकता है;

(ञ) "दमकल केन्द्र" से अभिप्राय है, अग्निशमन उपकरण, यन्त्र तथा अमले को रखने के लिए और इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन सरकार द्वारा अग्निशमन केन्द्र के रूप में घोषित कोई परिनिर्मित निर्माण और यथा निर्मित अन्य क्षेत्रीय संरचनाएं ;

(ट) ''अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपाय'' से अभिप्राय है, ऐसे उपाय, जो अग्नि की रोकथाम, नियन्त्रण और बुझाने के लिए तथा जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक हों ;

(ठ) ''अग्नि सुरक्षा अधिकारी'' से अभिप्राय है, ऐसे निर्माणों में संस्थापित अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट कतिपय निर्माणों के स्वामी या अधिभोगी द्वारा धारा 22 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(ड) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ढ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, नगर निगम, नगर परिषद्, नगर समिति, ग्राम पंचायत, छावनी बोर्ड या अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने तथा उनके रख–रखाव के लिए स्थापित, गठित या निगमित कोई अन्य प्राधिकरण ;

(ण) ''अधिभोग'' से अभिप्राय है, मुख्य अधिभोग, जिसके लिए सहायक अधिभोगों, जो उस पर निर्भर है, सहित किसी निर्माण या निर्माण के किसी भाग का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(त) ''अधिभोगी'' से अभिप्राय है–

(i) कोई व्यक्ति, जो तत्समय, भूमि या निर्माण, जिसके संबंध में ऐसे किराए का भुगतान किया जा रहा है या भुगतानयोग्य है, का किराया या किराए के किसी भाग का स्वामी को भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है ;

(ii) किसी भूमि या निर्माण के अधिभोग में है, या अन्यथा से उसका उपयोग करने वाला कोई स्वामी ;

(iii) किसी भूमि या निर्माण का निःशुल्क अधिभोगी ;

(iv) किसी भूमि या निर्माण के अधिभोग में कोई अनुज्ञप्तिधारी ; तथा

(v) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या निर्माण के उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को क्षतियों का भुगतान करने के लिए दायी है ;

(थ) ''स्वामी" में शामिल है, कोई व्यक्ति, जो तत्समय किसी भूमि या निर्माण का किराया, चाहे अपने खाते में या अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या प्राप्तिकर्ता के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने के लिए हकदार है अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो किराया प्राप्त करेगा या किराया प्राप्त करने के लिए हकदार है, यदि भूमि या निर्माण या उसके भाग को किराएदार को किराए पर दिया गया है ;

(द) ''पंडाल" से अभिप्राय है, घास–फूस, सूखी घास, यूलू घास, गोलपट्टी, होगला, दार्मा, चटाई, कैनवास, कपड़े या इसी प्रकार की किसी सामग्री से बनी छत या दीवारों वाली कोई अस्थाई संरचना, जिसे स्थाई या निरन्तर अधिभोग के लिए नहीं अपनाया जाता है ;

(ध) ''विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(न) ''राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा।

3. हरियाणा राज्य के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनने वाली अग्निशमन और आपातकालीन सेवा होगी, जिन्हें राज्य के भीतर कहीं भी पदस्थ किया जाएगा :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य सेवा या आपदा को अग्निशमन और आपातकालीन सेवा घोषित कर सकती है।

निदेशक की नियुक्ति।

4. सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा से किसी अधिकारी या अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी अधिकारी, जो संयुक्त निदेशक (तकनीकी) की पदवी से नीचे का न हो, को निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकती है।

निदेशक की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य।

5. (1) निदेशक, सरकार के अधीक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, अग्नि सुरक्षा और निवारण, अग्निशमन उपकरणों, मशीनरी और यन्त्रों, प्रशिक्षण, कर्त्तव्यों का बटँवारा, विधियों के अध्ययन के सभी मामलों और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के कार्मिकों में अनुशासन बनाए रखने बारे निर्देश देगा और विनियमित करेगा।

(2) निदेशक,–

(i) अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के विकास हेतु सरकार के साथ सम्पर्क बनाए रखेगा ;

(ii) सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के विकास से संबंधित नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और कदम उठाएगा;

(iii) अग्निशमन उपकरणों, सम्पत्तियों तथा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानवशक्ति का समय–समय पर पुनर्विलोकन करने के संबंध में योजनाएं तथा प्रस्तावों को तैयार करेगा और सरकार को भेजेगा ;

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि दमकल केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं की अग्निशमन और आपातकालीन प्रबन्ध योजनाएं, राज्य की संबंधित आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की गई हैं ;

(v) राज्य के भीतर तथा आसपास के राज्यों के लिए किसी अग्नि प्रतिक्रिया या किसी अन्य आपातकाल के लिए अतिरिक्त अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, संसाधनों, उपकरणों और अग्निशमन कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करेगा ;

(vi) भीषण अग्नि, मकान के ढहने और अन्य आपातकालीन सेवाओं के मामले में ऐसे प्रभावी कदम उठाएगा तथा उपाय करेगा या करवाएगा ;

(vii) अग्नि के कारण की जांच करेगा या जांच करवाएगा और अग्निशमन पूर्वोपायों के कार्यान्वयन सहित सिफारिशों के साथ सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(viii) ऐसी संख्या में अधिकारियों / कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करेगा, जो अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी अग्निशमन अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक हों ;

(ix) सरकार द्वारा, समय–समय पर, बनाई गई नीतियों को कार्यान्वित करेगा;

(x) अग्निशमन और बचाव कार्यों के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए अग्रिम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करेगा ;

(xi) अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के मानकों को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा ;

(xii) कोई अन्य कृत्य या कर्त्तव्य करेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

अग्निशमन मण्डलों, दमकल केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय संरचनाएं स्थापित करना।

6. (1) राज्य के भीतर अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के प्रयोजन हेतु, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पर्याप्त अग्निशमन मण्डलों, दमकल केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं का गठन करेगी, जो यह औद्योगिक सैक्टरों, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निर्माणों में जनसंख्या, संभावित अग्निशमन खतरों के संबंध में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में प्रशासनिक तथा कार्यात्मक निपुणता के लिए अग्निशमन मण्डलों, दमकल केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं की सीमा परिभाषित होगी।

अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य।

7. (1) सरकार या निदेशक, प्रत्येक दमकल केन्द्र के लिए अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो दमकल केन्द्र का प्रभारी होगा और अपने क्षेत्र के भीतर संचार प्रणाली, हाईड्रेन्ट सहित जल संसाधन के रख–रखाव, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के परिचालन के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अध्यधीन, अग्निशमन अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित अग्निशमन अधिकारी,–

(i) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की दशा में, कमांडिंग अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में, अन्य अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जो उसके नियन्त्रणाधीन नहीं हैं, उसके आदेश के अधीन कार्य करेगा ;

(ii) सुनिश्चित करेगा कि दमकल केन्द्र और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं की अग्निशमन और आपातकालीन प्रबन्धन योजना, जिला आपदा प्रबन्धन की संबंधित योजना के अनुरूप तैयार की गई है ;

(iii) ऐसी मानक परिचालन प्रक्रिया, जो विहित की जाए, के अनुसार अग्निशमन और आपातकालीन संबंधी काल पर अग्निशमन इकाइयों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ;

(iv) उसकी अधिकारिता के भीतर किसी अग्निशमन प्रतिक्रिया या किसी अन्य आपातकाल के लिए अतिरिक्त अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, संसाधनों, उपकरणों तथा अग्निशमन कार्मिकों के नियोजन को सुनिश्चित करेगा।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती का ढंग।

8. नियुक्त या नियोजित अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती का ढंग, वेतन और भत्ते तथा सभी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

सहायक अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा।

9. जब भी सरकार को यह प्रतीत होता है कि अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं में वृद्धि करना आवश्यक है, तो यह ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो यह उचित समझे, स्वयंसेवक भर्ती करते हुए अग्निशमन तथा आपातकालीन सहायक सेवा बना सकती है।

प्रभारी अधिकारी की शक्तियां।

10. किसी भी क्षेत्र में आग लगने पर, मौके पर अग्निशमन कार्यों का अधिकारी / कर्मचारी, प्रभारी अधिकारी होगा, जो,—

(i) किसी व्यक्ति, जो अपनी उपस्थिति से आग बुझाने या जीवन या सम्पत्ति के बचाव में विघ्न डालता है या बाधित करता है, को हटाने के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी अन्य सदस्य को आदेश दे सकता है ;

(ii) किसी भी गली या रास्ते को बन्द कर सकता है, जिसमें या जिसके नजदीक आग लगी हो या बचाव कार्य प्रगति पर हो, ;

(iii) आग बुझाने और बचाव कार्यों को करने के प्रयोजन हेतु, जल की पाइप या उपकरणों के लिए रास्ता बनाने हेतु किसी भी परिसर में घुस सकता है या उसके एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है या उसे ढहा सकता है या उन्हें तुड़वा सकता है या एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए या जितना सम्भव हो उतना कम नुकसान पहुंचाते हुए, ढहाने के लिए मजबूर कर सकता है ;

(iv) क्षेत्र में जल आपूर्ति प्रभारी प्राधिकारी से जल के मुख्य प्रणाल को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि आग लगने वाले स्थान पर एक निर्दिष्ट दबाव पर पानी उपलब्ध करवाया जा सके और ऐसी आग को बुझाने या आग के फैलने को कम करने तथा बचाव कार्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए और किसी भी स्रोत, जलाशय, कुएं या टैंक के जल या जल के उपलब्ध किसी भी स्रोत, चाहे सार्वजनिक या निजी हो, का उपयोग किया जा सके ;

(v) अग्निशमन कार्यों को नुकसान पहुंचाने वाले सम्भावित व्यक्तियों की किसी सभा को तितर–बितर करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानो वह किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी है / था और पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में समान प्रतिरक्षा और सुरक्षा का हकदार होगा ;

(vi) किसी व्यक्ति को निरूद्ध कर सकता है, जो जानबूझकर अग्निशमन तथा बचाव कार्यों में अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के कार्मिकों के लिए बाधा उत्पन्न करता है तथा रूकावट डालता है और लिखित में निरूद्ध करने का समय, तिथि तथा कारण विनिर्दिष्ट करते हुए अविलम्ब उसे किसी पुलिस अधिकारी या किसी नजदीकी पुलिस थाना के सुपुर्द कर सकता है।

अग्निशमन संपत्ति की मांग।

11. जहां निदेशक या अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन या किसी आपातकालीन अभियान के प्रभारी अधिकारी को किसी अन्य प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन उपकरण और यन्त्र या संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो वह आदेश द्वारा, प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, से किसी क्षेत्र में अग्नि बुझाने के प्रयोजन हेतु या किसी भी अन्य आपातकाल से निपटने के लिए ऐसे उपकरण या संपत्ति की मांग कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है।

जल आपूर्ति और अन्य आवश्यक उपायों की व्यवस्था करने की शक्ति।

12. (1) अग्निशमन कार्यों के प्रभारी अधिकारी के लिए क्षेत्र में किसी स्रोत से जल लेना विधिपूर्ण होगा, जिसे वह अग्निशमन कार्यों, जो अपेक्षित हों, के दौरान आवश्यक समझे और ऐसे अवसर पर, ऐसे जल स्रोत का नियन्त्रण रखने वाला स्वामी या अधिभोगी, उस प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति करेगा।

(2) अग्निशमन कार्यों का प्रभारी अधिकारी, आग लगने की स्थिति में उपयोग के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और अग्निशमन कार्यों हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा।

13. किसी क्षेत्र में जल आपूर्ति के प्रभारी किसी व्यक्ति को धारा 12 की उपधारा (1) की अनुपालना में जल आपूर्ति के किसी अवरोध के कारण हुई क्षति के लिए किसी मुआवजे के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा । जल आपूर्ति के अवरोध के लिए कोई मुआवजा नहीं होना।

14. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अग्निशमन कार्यों या अग्नि अभ्यास मेंया हाईड्रेन्ट स्थैतिकी जल टैंकों की स्थापना और रख–रखाव या अग्निशमन प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति की किसी अन्य व्यवस्था के लिए प्रयुक्त जल हेतु किसी भी प्रभार का दावा नहीं किया जाएगा। जल उपभोग के लिए प्रभार।

15. सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र में किसी स्थान या परिसरों के किसी स्वामी या अधिभोगी से ऐसे निवारक उपाय, जो ऐसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने की अपेक्षा कर सकती है, जो इसकी राय में अग्नि के जोखिम के लिए सम्भव हो। निवारक उपाय।

16. (1) पंडालों के परिनिर्माणकर्ताओं को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय करने के लिए स्व–विनियामक के रूप में समझा जाएगा। पंडालों में अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय।

(2) पंडाल का परिनिर्माणकर्ता, पंडाल में प्रमुख स्थान पर इस आशय की घोषणा विहित प्ररूप में अपने हस्ताक्षराधीन प्रदर्शित करेगा कि उसने सभी विहित अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय किए हैं।

(3) निदेशक या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उपधारा (2) के अधीन परिनिर्माणकर्ता द्वारा इस प्रकार की गई घोषणा के सहीपन के सत्यापन के लिए पंडाल में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और ऐसी त्रुटियों, यदि कोई हों, को बताने, उन्हें विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटाने के लिए निर्देश देने की भी शक्ति होगी। यदि ऐसे निर्देशों की अनुपालना दिए गए समय के भीतर नहीं की जाती है, तो निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पंडाल को सील करेगा ;

(4) किसी पंडाल का कोई परिनिर्माणकर्ता, जो झूठी घोषणा करता है कि उसने पंडाल में विहित अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों की अनुपालना की है, तो उसे अपराध करने वाला समझा जाएगा और कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माने, जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है, तो अपराध जारी रहने के दौरान प्रतिदिन के लिए अतिरिक्त जुर्माने, जो एक हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

17. (1) जब कभी निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के ध्यान में यह आता है, तो वह किसी स्थल की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण, सामग्रियों या मालों, जिनसे अग्नि जोखिम या अग्निशमन में किसी अवरोध के उत्पन्न होने की सम्भावना है, को हटाने का निदेश दे सकता है और स्वामी, अधिभोगी या परिनिर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा ऐसा करने में असफल रहने पर, निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, स्वामी या अधिभोगी या परिनिर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद और यदि निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है, तो सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को मामले की विस्तृत कारणों सहित रिपोर्ट करेगा। अग्निशमन जोखिम या अग्निशमन में किसी अवरोध के लिए संभावित अतिक्रमण, सामग्री या माल को हटाना।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी रीति, जो वह उचित समझे, में नोटिस की तामील द्वारा, ऐसे अतिक्रमण या सामग्रियों या मालों, जिनसे अग्नि के जोखिम अथवा अग्निशमन में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है, को हटाने के कारण दर्शाते हुए स्वामी, अधिभोगी या परिनिर्माणकर्ता को युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) स्वामी या अधिभोगी या परिनिर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को उपधारा (2) के अधीन प्रतिवेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट, प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, नोटिस को वापिस ले सकता है या ऐसे अतिक्रमण या सामग्रियों या मालों को जब्त करने, निरूद्ध करने या हटाने के लिए आदेश कर सकता है।

(4) उपधारा (3) में किए गए आदेश के निष्पादन के लिए प्रभारी व्यक्ति, सामग्रियों और मालों, जिन्हें वह ऐसे आदेश के अधीन जब्त करता है, की सूची तैयार करेगा और उसी समय, उनका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाएं, में लिखित नोटिस देगा कि ऐसी सामग्रियों या मालों का विक्रय कर दिया जाएगा यदि उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर उनका दावा नहीं किया जाता है।

(5) व्यक्ति, जिसके कब्जे में जब्ती के समय सामग्री या माल थे, उपधारा (4) के अधीन दिए गए नोटिस के अनुसरण में जब्त किए गए मालों का दावा करने में असफल रहता है, तो जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक नीलामी में उनका विक्रय करेगा।

अग्निशमन स्कीम के अनुमोदन के लिए स्वामी या अधिभोगी का दायित्व।

18. (1) समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV, हरियाणा भवन संहिता, 2017 तथा संबंधित परिसरों पर यथा लागू किसी अन्य राज्य विधि या उपविधियों के उपबन्धों की अनुपालना में, किसी निर्माण के स्वामी या अधिभोगी, जो या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से उत्तरदायी है–

(i) अग्निशमन संस्थापनाएं तथा जीवन सुरक्षा उपाय उपलब्ध करवाएगा ;

(ii) हर समय चालू हालत में अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों का रख–रखाव करेगा।

(2) इसके अधीन खण्ड (क) तथा (ख) में यथा वर्णित किसी निर्माण का प्रस्तावित संनिर्माण करने वाला कोई व्यक्ति, सुसंगत विधि के अधीन उसका अनुमोदन करने वाले सक्षम प्राधिकारी से भवन नक्शों का अनुमोदन करवाने के बाद, इस अधिनियम तथा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबन्धों के अनुरूप अग्निशमन स्कीम के अनुमोदन के लिए निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में आवेदन करेगा, अर्थात्:–

(क) सभी गगनचुंबी भवन (16.5 मीटर की ऊँचाई तक आवासीय भवनों के सिवाए) ; तथा

(ख) विशेष भवन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) होटल, शैक्षणिक, संस्थागत, कारबार, व्यापारिक, औद्योगिक, भण्डारण, संकटमय तथा मिश्रित अधिभोग, जहां इनमें से किसी निर्माण का फर्श क्षेत्र किसी एक या अधिक मंजिलों पर पाँच सौ वर्ग मीटर (500 वर्गमीटर) से अधिक है ;

(ii) नौ मीटर (9 मीटर) और उससे अधिक ऊँचाई वाले शैक्षणिक भवन ;

(iii) नौ मीटर (9 मीटर) और उससे अधिक ऊँचाई वाले संस्थागत भवन ;

(iv) सभी सभा भवन ;

(v) ऐसे निर्माण, जिनका किसी मंजिल पर आकस्मिक सभा अधिभोग का क्षेत्र तीन सौ वर्ग मीटर (300 वर्गमीटर) से अधिक है ; तथा

(vi) दो या दो से अधिक बेसमैंटों, या पाँच सौ वर्ग मीटर (500 वर्गमीटर) से अधिक क्षेत्र की एक बेसमैंट वाले निर्माण जब तक उपबन्धों में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित न हों।

(3) निदेशक द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी आवेदन पर संज्ञान ले सकता है और हरियाणा भवन संहिता, 2017 तथा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV की अपेक्षाओं के संबंध में आवेदन की संवीक्षा करेगा। निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, संवीक्षा के बाद अग्निशमन स्कीम का अनुमोदन कर सकता है, जो उपधारा (2) के खण्ड (क) में वर्णित निर्माणों हेतु पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) में वर्णित निर्माणों हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी या ऐसा समय, जो विहित किया जाए, के भीतर कारण लिपिबद्ध करने के बाद उक्त आवेदन को रद्द कर सकता है :

परन्तु अग्निशमन स्कीम का अनुमोदन करते समय निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, कोई अतिरिक्त शर्त/ अग्नि सुरक्षा उपाय अधिरोपित कर सकता है, जो वह जमीनी स्थिति पर निर्भर रहते हुए जन–साधारण की सुरक्षा और निर्माण की सुरक्षा के लिए उचित समझे।

(4) पहुँच सड़क/साथ लगती सड़क, जिस पर निर्माण का संनिर्माण किया जाना है, तथा संनिर्मित किए जाने वाले ऐसे निर्माणों के ईर्द–गिर्द बाधाएं या खुले स्थान के मामले में हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अधीन अधिकथित पैरामीटर लागू होंगे।

(5) भण्डार भवन की अधिकतम ऊंचाई, इस शर्त के अध्यधीन इक्कीस मीटर (21 मीटर) तक अनुज्ञेय होगी कि कोई भी नियमित/ निरंतर मानव बस्ती ऊंचाई में पन्द्रह मीटर (15 मीटर) से अधिक के लिए सर्व–साधारण की पहुंच में हो। अधिभोग या निर्माण, की श्रेणियों के मामले में, जिनके लिए अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपाय समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबन्धों में वर्णित नहीं है और भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय तेल सुरक्षा निदेशालय द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, तो निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे अधिभोग या निर्माण या परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से राष्ट्रीय अग्निशमन संरक्षण संघ संस्था (यू.एस.ए) द्वारा अधिकथित पैरामीटरों के अनुसार अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षा कर सकता है।

(6) भण्डार भवन की अधिकतम यात्रा दूरी साढ़े सड़सठ मीटर (67.5 मीटर) तक अनुज्ञेय होगी।

(7) औद्योगिक भवन की अधिकतम ऊंचाई इस शर्त के अध्यधीन निम्न और मध्यम संकट भवनों (उच्च जोखिम वाले भवनों को छोड़कर) के लिए तीस मीटर (30 मीटर) तक अनुज्ञेय होगी कि कोई नियमित/ निरंतर मानव बस्ती को निम्न और मध्यम जोखिम वाले भवनों के लिए ऊंचाई अठारह मीटर (18 मीटर) से अधिक के लिए अनुज्ञेय न हो। अधिभोग या निर्माण या परिसर की श्रेणियों के मामले में, जिनके लिए अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपाय समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबन्धों में वर्णित नहीं है, और भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय तेल सुरक्षा निदेशालय द्वारा अलग से दिशा–निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, तो निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे अधिभोग या निर्माण या परिसरों के स्वामी या अधिभोगी से राष्ट्रीय अग्निशमन संरक्षण संघ संस्था (यू.एस.ए) द्वारा अधिकथित पैरामीटरों के अनुसार अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र जारी करना।

19. (1) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन वर्णित निर्माण के संनिर्माण की समाप्ति पर तथा अनुमोदित अग्निशमन स्कीम के अनुसार अग्नि सुरक्षा तथा निवारक उपायों की संस्थापना पर, निर्माण का स्वामी, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सम्बद्ध अधिकारी आवेदन की संवीक्षा करेगा तथा अग्निशमन स्कीम की अनुपालना के लिए निर्माण का निरीक्षण करेगा।

(3) अनुमोदित अग्निशमन स्कीम के अनुसार अग्नि सुरक्षा संस्थापना तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण करने के बाद, सम्बद्ध अधिकारी ऐसे समय, जो विहित किया जाए, के भीतर निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जांच के बाद, निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे समय, जो विहित किया जाए, के भीतर अनुमोदन प्रदान कर सकता है या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है या कारण लिपिबद्ध करने के बाद उक्त आवेदन को रद्द कर सकता है।

(4) धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट निर्माणों हेतु जारी किया गया अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र तीन वर्ष के लिए वैध होगा, साढे सौलह मीटर 16.5 मीटर से अधिक के आवासीय भवनों के लिए पांच वर्ष के लिए वैध होगा तथा धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट विशेष निर्माणों हेतु तीन वर्ष के लिए वैध होगा।

(5) तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निर्माण के अधिभोग प्रमाण–पत्र को जारी करने हेतु कोई भी सशक्त प्राधिकारी तब तक अधिभोग प्रमाण–पत्र जारी नहीं करेगा, जब तक इस धारा के उपबन्धों की अनुपालना नहीं की जाती :

परन्तु अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र का अनुमोदन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जमीनी स्थिति पर निर्भर रहते हुए जनसाधारण तथा निर्माण की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपाय के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त शर्त, जो वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकता है।

(6) निर्माण का स्वामी या अधिभोगी प्रतिवर्ष इस प्रभाव का स्वतः घोषणा प्रमाण–पत्र देगा कि उसके निर्माण में संस्थापित अग्निशमन प्रणाली अच्छी स्थिति में है तथा निर्माण में कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं है। अग्निशमन अधिकारी ऐसे निर्माण की रैंडमली जांच कर सकता है। यदि, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अधीन अनुज्ञेय सीमा से अधिक कोई परिवर्धन/ परिवर्तन है, तो उक्त अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रभावहीन हो जाएगा तथा स्वामी धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित अग्निशमन स्कीम के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण।

20. (1) निर्माण का स्वामी या अधिभोगी ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) अग्निशमन अधिकारी आवेदन की संवीक्षा करेगा तथा अग्नि सुरक्षा संस्थापनाओं, बचाव के साधनों इत्यादि का निरीक्षण करेगा तथा यदि निर्माण विहित मानदण्डों को पूरा करता है, तो अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे समय, जो विहित किया जाए, के भीतर प्रमाणपत्र का नवीनीकरण जारी करेगा या इस सम्बन्ध में कारण लिपिबद्ध करने के बाद उसे रद्द करेगा :

परन्तु अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण का अनुमोदन करने में सक्षम है, जमीनी स्थिति पर निर्भर रहते हुए जनसाधारण तथा निर्माण की सुरक्षा के लिए, अग्नि सुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों के संबंध में कोई अतिरिक्त शर्त, जो वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकता है।

(3) धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन यथा वर्णित निर्माणों हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र की वैधता तीन वर्ष होगी।

(4) निर्माण का स्वामी या अधिभोगी प्रतिवर्ष इस प्रभाव का स्वतः घोषणा प्रमाण–पत्र देगा कि उसके निर्माण में संस्थापित अग्निशमन प्रणाली अच्छी स्थिति में है तथा निर्माण में कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं है। अग्निशमन अधिकारी ऐसे निर्माण की रैंडमली जांच कर सकता है। यदि, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अधीन अनुज्ञेय सीमा से अधिक कोई परिवर्धन/ परिवर्तन है, तो उक्त अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रभावहीन हो जाएगा तथा स्वामी धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित अग्नि ामन स्कीम के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का रद्दकरण।

21. (1) यदि स्वामी या अधिभोगी, जैसी भी स्थिति हो, निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो धारा 19 तथा 20 के अधीन जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण, स्वामी या अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के बाद जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(2) निर्माण का स्वामी या अधिभोगी, जिसका अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया गया है, अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों की अननुपालना के आधार पर निर्माणों या परिसरों का अधिभोग करने का हकदार नहीं होगा।

स्वामी या अधिभोगी द्वारा अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्य ।

22. (1) समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबंधों के अनुसार सभी निर्माणों में प्रभावी अग्नि निवारण तथा जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु, प्रत्येक स्वामी और अधिभोगी, पृथक रूप से या संयुक्त रूप से, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी योग्यताएं, जो विहित की जाएं, रखने वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अग्नि सुरक्षा अधिकारी की रिक्ति की दशा में, या तो त्यागपत्र द्वारा या अन्यथा से, स्वामी या अधिभोगी व्यैक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से, जैसी भी स्थिति हो तुरंत अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा।

(3) उप–धारा (1) तथा (2) के अधीन अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने की दशा में, अग्नि सुरक्षा अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे कदम उठायेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(4) अग्नि सुरक्षा अधिकारी, सरकार द्वारा स्थापित अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेना होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति, जिसने गृह मामले मन्त्रालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्थान से ऐसा प्रशिक्षण पहले से ले लिया है, से ऐसा प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

निरीक्षण की शक्ति।

23. (1) निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, किसी स्थान या निर्माण या उसके भाग के अधिभोगी, या जहां कोई अधिभोगी नहीं है, तो उसके स्वामी को तीन घण्टे का नोटिस देने के बाद, सूर्योदय और सूर्यास्त होने के मध्य किसी भी समय पर ऐसे स्थान या निर्माण या उसके भाग में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, जहां अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों की दक्षता या उल्लंघना सुनिश्चित करने के लिए ऐसा निरीक्षण आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, किसी भी समय किसी स्थान या निर्माण या उसके भाग में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है, यदि यह जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अनुक्रम में ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो।

(2) ऐसे स्थान या निर्माण या उसके भाग के स्वामी या अधिभोगी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने हेतु, अग्निशमन अधिकारी को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

(3) स्वामी या अधिभोगी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी अग्निशमन अधिकारी को किसी स्थान या भवन या उसके भाग में प्रवेश करने के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या कोई बाधा उत्पन्न नहीं करवाएगा और ऐसे निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी के साथ हाथापाई नहीं करेगा।

(4) मानव निवास के रूप में उपयोग किए गए किसी ऐसे स्थान या निर्माण या उसके भाग में प्रवेश करने पर, अग्निशमन अधिकारी द्वारा अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का उचित सम्मान किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई स्थान, निर्माण या उसका भाग वास्तव में किसी महिला के अधिभोग में है, जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं होती है, तो ऐसी महिला को ऐसे स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होने की स्वतन्त्रता के साथ नोटिस दिया जाना अपेक्षित है और ऐसे प्रयोजन हेतु उसे हर उचित सुविधा वहन की जानी अपेक्षित है।

(5) इस धारा के अधीन निरीक्षण करने के बाद, अग्निशमन अधिकारी, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे किसी निरीक्षण की रिपोर्ट देगा।

(6) निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, निर्माण की ऊंचाई या ऐसे स्थान या निर्माण या उसके भाग में चल रही गतिविधियों के स्वरूप के संदर्भ में अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों के संबंध में आवश्यकताओं से विचलन या उल्लंघन या इसमें उपलब्ध करवाए गए या उपलब्ध करवाए जाने वाले ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या अननुपालना पर अपने विचार लिपिबद्ध करेगा और ऐसे स्थान, निर्माण या उसके भाग के स्वामी या अधिभोगी को ऐसे समय, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर ऐसे उपाय करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा।

(7) जारी किए गए नोटिस की अननुपालना के मामले में, निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे कदम उठायेगा, जो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उचित समझे।

24. (1) अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी निर्माण, जिसका संनिर्माण इस अधिनियम के प्रारम्भ को या से पूर्व पूर्ण हुआ था या कोई निर्माण, जो ऐसी तिथि, जिसमें अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा निरीक्षण करना आवश्यक प्रतीत हो, को निमार्णाधीन था, में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है। कतिपय निर्माणों के संबंध में उपबन्ध।

(2) अग्निशमन अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, उप–धारा (1) के अधीन निर्माण का निरीक्षण करने के बाद और–

(i) उपबन्ध, जिसके अधीन उक्त भवन का नक्शा स्वीकृत किया गया था;

(ii) उक्त भवन के नक्शे की स्वीकृति के समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्त, यदि कोई हो; तथा

(iii) समय–समय पर यथा पुनरीक्षित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के भाग–IV के उपबन्धों के अनुसार ऐसे भवन के लिए विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों हेतु न्यूनतम मानकों,

पर विचार करने के बाद, निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को उस द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

25. जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन उसके विरूद्ध की गई किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है, या ऐसे जुर्माने, जो पचास हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा। धारा 12 के उपबन्धों की उल्लंघना हेतु शास्तियां।

26. (1) यदि किसी निर्माण का कोई स्वामी या अधिभोगी, निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस निमित्त दिए गए नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर धारा 22 के अधीन अग्नि सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने में असफल रहता है, तो संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से चूककर्ता समझा जाएगा और चूक या उसके भाग के प्रत्येक मास के लिए निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित भवनों के सामूहिक क्षेत्रों सहित स्वामित्वाधीन अधिभोग वाले क्षेत्र के लिए ऐसी धनराशि, जो प्रति वर्गमीटर दस रूपए से कम न हो और प्रति वर्गमीटर पचास रूपए से अनधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा। अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने के मामले में शास्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के रूप में बकाया राशि, भू–राजस्व बकायों के रूप में वसूल की जाएगी।

27. (1) कोई व्यक्ति, जिसका निर्माण उसके स्वयं की या उसके अभिकर्ता द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से की गई किसी कार्यवाही के कारण आग पकड़ती है, तो ऐसी अग्नि से हुई क्षति से पीड़ित किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने के लिए दायी होगा। मुआवजे का भुगतान करने के लिए स्वामी का दायित्व।

(2) उपधारा (1) के अधीन सभी दावों को ऐसी तिथि, जिसको क्षति हुई थी, से तीस दिन के भीतर निदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) निदेशक, सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा और ऐसे मुआवजे का भुगतान करने के लिए व्यक्तियों का दायित्व नियत करते समय आदेश पारित करेगा। इस उपधारा के अधीन पारित किए गए आदेश को किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का बल होगा और आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा।

अग्निशमन, बचाव कार्यों में स्वेच्छापूर्वक बाधा उत्पन्न हेतु शास्ति।

28. कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी सदस्य, जो अग्निशमन कार्यों में नियोजित किया गया है, के लिए स्वेच्छापूर्वक बाधा या विघ्न उत्पन्न करता है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने, जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

झूठी रिपोर्ट।

29. कोई भी व्यक्ति, जो कथन, संदेश या अन्यथा के माध्यम से जानबूझकर आग लगने की झूठी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देता है या दिलवाता है, तो कारावास, जो तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

दण्ड हेतु सामान्य उपबन्ध।

30. जो कोई भी इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या की गई अधिसूचना के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरूद्ध की गई किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना, जो दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा और जहां अपराध जारी रहता है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

31. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो कम्पनी के कार्यकलापों को करने के लिए कम्पनी का प्रभारी था, और उत्तरदायी था, जिस समय अपराध किया गया था, तो कारावास, जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, जिसे दस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत या मौनोनुकूलता से हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उप–धारा (1) के अनुसार दण्ड के लिए दायी होगा।

व्याख्या.– (i) 'कम्पनी' से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी शामिल है; तथा

(ii) 'निदेशक' से अभिप्राय है, किसी फर्म का कोई निदेशक या भागीदार।

अपराधों का प्रशमन।

32 (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध को या तो अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या के बाद ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी राशि, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, के लिए प्रशमित किया जा सकता है :

परन्तु कोई भी अपराध तब तक प्रशमित नहीं किया जाएगा जब तक इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए नोटिसों या आदेशों की अनुपालना नहीं की जाती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया है, तो ऐसे अपराध के संबंध में किसी अपराधी के विरूद्ध कोई भी आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

33. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं हो सकेगी।

अभियोजन का संज्ञान।

34. कोई भी न्यायालय, निदेशक या अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी की शिकायत या से प्राप्त सूचना के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अधिकारिता।

35. उपमण्डल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करेगा।

अपील।

36. (1) निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के किसी नोटिस या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, साठ दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे नोटिस या आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकता है :

परन्तु अपील प्राधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद अपील ग्रहण कर सकता है, यदि इसकी संतुष्टि हो जाती है कि उस अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(2) अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम होगा।

अग्निशमन और आपातकालीन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।

37. (1) सरकार, अग्निशमन सेवा कार्मिकों और उद्योगों, बहुमंजिले निर्माण और अन्य सरकारी और गैर–सरकारी प्रतिष्ठानों से निजी उम्मीदवारों हेतु अग्नि के निवारण और निर्वापन में शिक्षण कोर्स उपलब्ध करवाने हेतु हरियाणा राज्य में एक या एक से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकती है और रख–रखाव कर सकती है।

(2) सरकार, स्थानीय निकायों और औद्योगिक उपकर्मों के साथ–साथ अन्य राज्यों की अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के लिए ऐसी फीस और प्रभारों, जो विहित किए जाएं, के भुगतान पर प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार कर सकती है।

(3) सरकार, अग्नि के निवारण और निर्वापन में शिक्षण कोर्स उपलब्ध करवाने हेतु ऐसी प्रक्रिया विहित करेगी, जो यह उचित समझे।

(4) प्रशिक्षण के संबंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों को लागू सामान्य नियमों की अनुपालना के अध्यधीन, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु सरकारी लागत तथा व्यय पर भारत के भीतर या बाहर किसी संस्थान में अग्निशमन संरक्षण और अग्नि सुरक्षा उपायों के वैज्ञानिक तथा आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र और सहबद्ध मामलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है।

सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

38. अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन निवारण उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। अग्निशमन अधिकारी, अग्नि निवारण से संबंधित मामलों में समुदायों को सहायता और परामर्श दे सकता है।

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण।

39. (1) ऐसे निर्माण, जिन पर किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति कर उदगृहीत किया जाता है, पर अग्निशमन कर उद्गृहीत किया जाएगा।

(2) अग्निशमन कर, सम्पत्ति कर की प्रतिशतता के अनुसार ऐसी दर, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, अवधारित करे, पर उदगृहीत किया जाएगा।

अग्निशमन कर के निर्धारण, संग्रहण इत्यादि का ढंग।

40. (1) ऐसे कर के उद्ग्रहण के लिए क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण को प्राधिकृत करने वाली विधि के अधीन सम्पत्ति कर के निर्धारण, संग्रहण और भुगतान के प्रवर्तन के लिए सशक्त प्राधिकारी, सरकार के निमित्त, उसी रीति में, जिसमें सम्पत्ति कर का निर्धारण, भुगतान और संग्रहण किया जाता है, अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण करेगा और भुगतान का प्रवर्तन करेगा।

(2) अग्निशमन कर, जो सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, की कुल राशि के ऐसे भाग की कटौती, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अग्निशमन कर के संग्रहण की लागत पूरी करने के लिए की जाएगी।

(3) अग्निशमन कर के संग्रहण की लागत की कटौती करते हुए इस अधिनियम के अधीन संगृहीत अग्निशमन कर की शुद्ध राशि का भुगतान, ऐसी रीति में और ऐसे अन्तरालों, जो विहित किए जाएं, पर सरकार को किया जाएगा।

राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के नियोजन पर प्रभार।

41. (1) जहां अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सदस्यों को किसी सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के अनुरोध पर पड़ोस में आग बुझाने के लिए राज्य की सीमाओं से बाहर उपकरणों तथा यन्त्रों के साथ नियोजित किया जाता है, तो ऐसी सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएं, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रभारों, जो विहित किए जाएं, का भुगतान करने के लिए दायी होंगी।

(2) अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के सदस्यों को निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जो उप निदेशक (तकनीकी) की पदवी के नीचे का न हो, के पूर्व अनुमोदन के बिना उप–धारा (1) में यथा वर्णित प्रयोजन के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(3) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट फीस, निदेशक या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा मांग के नोटिस की तामील के एक मास के भीतर भुगतानयोग्य होगी, और यदि उस अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो यह भू–राजस्व बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगी।

राज्य के भीतर अतिरिक्त ड्यूटी हेतु अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं पर प्रभार।

42. (1) राज्य के भीतर अग्निशमन और बचाव कार्यों के लिए कोई प्रभार उदगृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) सरकार, किसी विशिष्ट अवधि के दौरान निजी प्रयोजन और अतिरिक्त ड्यूटी हेतु उपकरणों और यन्त्रों सहित अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के सदस्यों के नियोजन हेतु अधिसूचना द्वारा प्रभार विनिर्दिष्ट करेगी।

बकायों की वसूली।

43. इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य किसी राशि की वसूली भू–राजस्व बकायों के रूप में की जाएगी।

अन्य अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्था।

44. निदेशक, सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं या प्राधिकरण, जो किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम अग्निशमन प्रयोजनों के लिए कार्मिक या उपकरण या दोनों उपलब्ध करवाने के लिए लागू हैं, की सीमाओं से बाहर उपरोक्त अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं बनाए रखता है, के साथ लोकहित में पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या के अधीन उपबंधित ऐसे निबन्धनों पर करार कर सकता है।

अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं को तकनीकी सेवा के रूप में घोषित करना।

45. विषय पर तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के किसी वर्ग या प्रवर्ग को तकनीकी सेवा के रूप में घोषित कर सकती है।

सूचना प्राप्त करने की सामान्य शक्ति।

46. निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी निर्माण के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे निर्माण की विशेषता के बारे में, उपलब्ध जल आपूर्ति तथा उसमें पहुँच के साधन तथा अन्य तात्विक ब्यौरों, जो वह आवश्यक समझे, के सम्बन्ध में सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है तथा ऐसा स्वामी या अधिभोगी, उसके आधिपत्य की सभी सूचनाएं देने के लिए दायी होगा।

निर्माण या परिसरों को सील करने की शक्ति।

47. (1) जहाँ धारा 23 तथा 24 के अधीन अग्निशमन अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, या स्वप्रेरणा से निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी निर्माण या परिसरों की स्थिति जीवन या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है, तो वह, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, ऐसे निर्माण के कब्जाधारी व्यक्ति या अधिभोगी से तुरन्त उन्हें ऐसे निर्माण हटाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत्त किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश की अनुपालना नहीं की जाती है, तो निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत्त कोई अधिकारी,–

(i) संबंधित प्राधिकारी को निर्माण की बिजली की आपूर्ति को काटने के निदेश दे सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी उक्त निर्देशों की अनुपालना करेगा;

(ii) सम्बन्धित प्राधिकारी को निर्माण या परिसरों के जल तथा सीवर कनैक्शन काटने के निर्देश दे सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी उक्त निर्देशों की अनुपालना करेगा;

(iii) क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को निर्माण से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के निर्देश दे सकता है तथा ऐसा अधिकारी ऐसे निर्देशों की अनुपालना करेगा।

(3) धारा 2 के खण्ड (iii) के अधीन व्यक्तियों को हटाने के बाद, निदेशक या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निर्माण को सील करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत्त किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के सिवाय ऐसी सील नहीं हटाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के सिवाय, ऐसी सील को हटाता है, तो कारावास की ऐसी अवधि, जो तीन मास तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने, जो पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

पुलिस अधिकारियों तथा अन्यों द्वारा सहयोग करना।

48. अग्निशमन कार्यों के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर आग बुझाने के कार्यों या आग के जोखिम वाले किसी माल को जब्त करने, निरूद्ध करने या हटाने से सम्बन्धित किसी भी अन्य कार्य में पुलिस अधिकारी या पुलिस बल के कर्मचारियों का ऐसे कर्त्तव्यों के निर्वहन में अग्निशमन कार्यों के प्रभारी अधिकारी की सहायता तथा सहयोग करने का कर्तव्य होगा।

49. यदि अग्निशमन या बचाव अभियान के कर्तव्यों के दौरान अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा का सदस्य स्थाई रूप से निःशक्त हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ऐसे सदस्य या मृतक के निकट सम्बन्धी, जैसी भी स्थिति हो, को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करेगी, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के सदस्य हेतु मुआवजा।

50. अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के प्रत्येक सदस्य को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा। अधिकारियों का लोक सेवक होना।

51. सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा का कोई भी सदस्य,– संघ या संघ का भाग इत्यादि बनाने पर निर्बन्धन।

(i) किसी यूनियन, श्रमिक यूनियन और राजनीतिक संघ का सदस्य नहीं होगा, या किसी भी प्रकार से सहयोजित नहीं होगा;

(ii) किसी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज के बारे में प्रेस को संसूचित नहीं करेगा या का प्रकाशन नहीं करेगा या करवाएगा, ऐसी संसूचना या प्रकाशन के सिवाय जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में लाभदायक है या विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक विशेषता वाला है।

52. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

53. निदेशक, आदेश द्वारा, निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति या अधिरोपित किसी कर्तव्य का, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएगी और निर्वहन किया जाएगा। शक्तियों का प्रत्यायोजन।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।

55. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

56. (1) हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 (2009 का 12), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति ।

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात,–

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हित या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी ; या

(ii) ऐसे अधिकार, हित या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या उपाय पर प्रभाव नहीं डालेगी ; या

(iii) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगी ; या

(iv) निरसित अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो इस अधिनियम से अनुअसंगत है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 दिनांक 24 मार्च 2009 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचित हुआ था।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय के परामर्श से मॉडल बिल, 2019 तैयार किया गया है। राज्य की अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के रख रखाव के लिए ''मॉडल बिल'' शीषक के अन्तर्गत संशोधित दस्तावेज सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस अनुरोध के साथ प्रसारित किये गये है कि वे अपनी अग्निशमन सेवा बिल का निरिक्षण करे तथा अपनी अग्निशमन सेवा को संशोधित मॉडल बिल के अनुरूप तैयार करें क्योंकि यह राज्य का विशय है जिसे भारत के संविधान की धारा 243–डब्लयू के अन्तर्गत अनूसूची–12 में पालिका कार्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

तदानुसार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों अनुसार तथा हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 व हरियाणा लोजिस्टीक पोलिसी आदि के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुये, हरियाणा अग्निशमन एवम् आपातकालीन सेवायें अधिनियम, 2022 लागू किया जाना है तथा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 को निरस्त किया जाना है।

अतः हरियाणा अग्निशमन एवम् आपातकालीन सेवायें बिल, 2022 विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए रखा गया है।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2022 की धारा 8 में किये गये प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन सेवाओं के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को राज्य की संचित निधि से पूरा किया जायेगा। कर्मचारियों के वेतन और अग्निशमन उपकरणों इत्यादि की खरीद पर कुल अनुमानित व्यय निरसित अधिनियम अर्थात हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान कुल 136 करोड़ रूपये खर्च किए गये। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए कर्मचारियों के वेतन और अग्निशमन वाहनों/उपकरणों इत्यादि की खरीद का अनुमानित व्यय लगभग 270 करोड़ प्रति वर्ष होगा।

प्रत्यायोजित विधानों कें संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022 की धारा 3 सरकार को किसी अन्य सेवा या आपदा को अग्निशमन और आपातकालीन सेवा घोषित करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 6 सरकार को अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के प्रयोजन हेतु पर्याप्त अग्निशमन मण्डलों, दमकल केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं को गठन करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 7 सरकार को प्रत्येक दमकल केन्द्र के लिए अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 9 सरकार को स्वयंसेवक भर्ती करते हुए अग्निशमन तथा आपातकालीन सहायक सेवा बनाने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 15 सरकार को किसी क्षेत्र में किसी स्थान या परिसरों के किसी स्वामी या अधिभोगी से जो इसकी राय में अग्नि के जोखिम के लिए सम्भव हो, ऐसे निवारक उपाय करने की अपेक्षा करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 32 सरकार को किसी अपराध के लिए किसी अधिकारी द्वारा और ऐसी राशि, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाये, को प्रशमित करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 37 सरकार को एक या एक से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और रख–रखाव करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 39 (2) सरकार को अग्निशमन कर, सम्पत्ति कर की प्रतिशतता के अनुसार ऐसी दर जो निर्धारित की जाये, को अवधारित करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 42 (2) सरकार को किसी विशिष्ट अवधि के दौरान निजी प्रयोजन और अतिरिक्त ड्यूटी हेतु उपकरणों और यन्त्रों सहित अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के सदस्यों के नियोजन हेतु प्रभार विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 44 सरकार को पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या उसके अधीन उपबंधित ऐसे निबन्धनों पर करार करने का अधिकार देती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 45 सरकार को अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के किसी वर्ग या प्रवर्ग को तकनीकी सेवा के रूप में घोषित करने का अधिकार देती है या प्रस्तावित विधेयक की धारा 49 सरकार को अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के सदस्यो को अग्निशमन या बचाव अभियान के कर्तव्यों के दौरान स्थाई रूप से निःशक्त हो जाता है या उसकी मृत्यु की अवस्था मे पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करने का अधिकार देती है या प्रस्तावित विधेयक की धारा–51 के अधीन संघ या संघ के भाग इत्यादि को स्वीकृति देने के लिए शक्तियां सरकार को प्रत्यायोजित की गई है। विधेयक की धारा 52 सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। विधेयक की धारा 54 सरकार को उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध करने का अधिकार देती है।

कार्यपालिका को शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। इसलिए, हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 126 के तहत प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन संलग्न है।

9512—H.V.S.—H.G.P., Pkl.